

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-51/2020/पी-1/31
प्रति

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय -- "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री हेमंत कुमार जैन, स्वैच्छिक से०नि०
कार्यपालन यंत्री ।

---00---

श्री हेमंत कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री दि. 29.02.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त
हुये ।

2 / विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री हेमंत कुमार जैन,
स्वैच्छिक से०नि० कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है ।
श्री जैन सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे हैं ।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री हेमंत कुमार जैन, स्वैच्छिक से०नि०
कार्यपालन यंत्री के पक्ष में " न मांग न जांच " प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/08/2020

क्रमांक-एफ-19-51/2020/पी-1/31

प्रति

मुख्य अभियंता, अखिल जैन अखिल, जल संसाधन विभाग सागर ।

अधीनस्थ यंत्री जल संसाधन मंडल सागर ।

संबंधित कोषालय अधिकारी.....

संबंधित अधिकारी श्री हेमंत कुमार जैन, स्वैच्छिक से०नि० कार्यपालन यंत्री (द्वारा-प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग)

वेब सैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की
वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु ।

स्टाक रंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल